न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 74 आर 15/08–09

लाडु उरॉव वगैरह — अपीलकर्ता

बनाम

मनोज पासवान — प्रतिवादी

आदेश

6

29.09.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 197/06–07 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 27.05.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु अपीलकर्ता द्वारा दसयर धारा 71 ए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
तिरिल	7	372	24 डिसमिल
		376	29 ,,
		378	06 ,,

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में जतरु उरॉव एवं चम्पा उरॉव के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता खतियानी रैयत के वंशज हैं। कोल्हा दुसाध पिता समुद दुसाध सिर्फ खेसरा संख्या 378 के सिकमीदार थे। प्रतिवादी सिकमी रैयत के उत्तराधिकारी हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर रॉची के न्यायालय में धारा 144 के अंतर्गत वाद संख्या 439/2006 हुआ था जिसमें प्रतिवादी ने प्रथम बार एक सादा इस्तीफानामा एवं हुकुमनामा क्रमशः 1938 एवं 1939 का दाखिल किया। साथ ही प्रतिवादी ने लगान निर्धारण वाद संख्या 632/1947–48 में दिनांक 3.5.1948 का लगान निर्धारण आदेश भी दाखिल किया। ये सारे दस्तावेज जाली एवं बनावटी हैं। प्रतिवादी ने 30.11.2006 को प्रथम बार विवादित जमीन के नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 530 आर 27/2006–07 था। अंचल अधिकारी द्वारा 30.10.2006 को नामांतरण अस्वीकृत किया गया। इसके विरुद्ध प्रतिवादी ने उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची के न्यायालय में अपील नं0 75 आर 15/2007–08 दायर किया है जो लम्बित है। अपील आवेदन में बताया गया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के

विरुद्ध टाईटल सूट नं0 126/2006 दायर किया है जो विचाराधीन है। अपीलकर्ता ने जमीन की वापसी हैतु निम्न न्यायालय में एस ए आर वाद संख्या 197/06–07 दायर किया जिसे दिनांक 27.5.2008 को खारिज कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख करते हुए प्रतिवादी के लगान निर्धारण आदेश को जाली बताया। प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता ने एस ए आर वाद दायर करने के पूर्व से ही एक टाईटल सूट भी दायर कर रखा है। इनका कहना है कि एक ही जमीन के लिए अपीलकर्ता ने दो न्यायालयों में दावा किया है। विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि प्रतिवादी के नाम से बिहार भूमि अधिनियम 1945 के अंतर्गत लगान निर्धारण हो चुका है एवं इस मामले में छोटानागपुर काश्कारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

उपलब्ध कागजातों और बहस से स्पष्ट है कि विवादास्पद भूमि खतियान में जतरु उरॉव वो चम्पा उरॉव पेशरान शिवनाथ उरॉव के नाम दर्ज है और शिकमी कोल्हा दुसाध का दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी का 70 बर्षों से ज्यादा समय से दखल है। भू–वापसी वाद 12.6.2006 को दायर किया गया है जो निर्धारित कालावधि 30 बर्षों के बाद है।

निम्न न्यायालय के पीछासीन पदाधिकारी श्री देवनीस किरो ने अपने आदेश में लिखा है कि भूमि पर प्रतिवादी का दखल काफी पुराना है और उस पर संरचना है। आवासीय मकान की सम्पुष्टि गवाही में भी हुई है।

उभय पक्षों के बीच एक स्वत्व वाद संख्या 126 बर्ष 2006–07 भी चल रहा है जो सब जज के न्यायालय में लम्बित है। यह प्रथम पक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया है।

उपरोक्त समस्त आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 197/06–07 को अस्वीकृत किया गया है। इस आदेश में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतएव अपील वाद खारिज किया जाता है।

दिनांकः– 29.09.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।